# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

**(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)**

**एल0आर0 अपील संख्या :–110/2022/टोंक**

भंवरलाल पुत्र बख्तावर जाति माली निवासी लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक।

**–अपीलांट**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक।

**–रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक दिनांक 21.12.2021 प्रकरण संख्या 35/2017 बउनवानी भंवरलाल बनाम सरकार में पारित किया गया।**

**उपस्थित अभि0:–**

1. अपीलांट अभि0– श्री आशीष जैन
2. राजकीय अभि0– श्री आकाश पारीक

**निर्णय** **दिनांकः–30.12.2022**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लांबाहरिसिंह तहसील मालपुरा के आराजी खसरा नम्बर 531/1 किस्म चरागाह में से 0.05 बीघा भूमि पर पक्की दीवार बनाकर बाड़ा बनाने के कारण अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार मालपुरा द्वारा सुनवाई के बाद अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से एवं पैनल्टी के साथ बेदखल करने बाबत प्रकरण संख्या 564/2015 में निर्णय दिनांक 16.09.2015 को आदेश दिया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय ए0डी0एम टोंक में प्रथम अपील 35/2017 दर्ज करवायी गई। जिस पर दिनांक 21.12.2021 को अपना निर्णय सुनाते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक द्वारा तहसीलदार के निर्णय दिनांक 16.09.2015 को यथावत रखा। अतिरिक्त जिला कलक्टर के उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में अपीलांट द्वारा निम्न आधार बताये है–

1. तहसीलदार मालपुरा द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया।
2. अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है।
3. पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सारी कार्यवाही की गई है। कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं लिये गये है।
4. अंत में अपीलाधीन आदेश में सिविल कारावास की सजा से मुक्त किये जाने बाबत निवेदन किया है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र मियाद अवधि अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही अपनी एक अण्डरटेकिंग भी दी है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:56 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें तब हुई जब पुलिस उन्हें गिरफतार करने आयी। तत्पश्चात निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने

के लिए दिनांक 13.09.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त की तथा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार करवायी गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जायें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 21.09.2022 को प्रस्तुत होना पाया जाता है। न्यायालय का यह मानना है कि जानकारी दिनांक से अपीलांट द्वारा शीघ्र कार्यवाही कर अपील प्रस्तुत कर दी गई। अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उसके अनुसार प्रार्थी का भूमि पर कब्जा नहीं है। पुलिस उसे गिरफतार कर जेल भेज सकती है। जिसकी वजह से अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलाधीन आदेश की पालना को अपील निस्तारण तक स्थगित रखा जायें। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिनांक 29.09.2022 को न्यायालय हाजा द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया।

तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या 564/2015 दिनांक 16.09.2015 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय प्रिटेंड फोर्मेट में है। जो उचित नहीं है। साथ ही उक्त निर्णय में किस पूर्व प्रकरण में अपीलांट अतिक्रमी था तथा उसका अतिक्रमण हटाया गया और ऐसा कही भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। फिर भी न्यायालय तहसीलदार मालपुरा द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक द्वारा भी बिना तथ्यों का विवेचन किये तहसीलदार मालपुरा के आदेश को यथावत रखा है जो उचित नहीं है।

अंतिम बहस अपील में वकील अपीलांट ने बताया कि तहसीलदार का आदेश साइक्लोस्टाइल आदेश था। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि उसने अपना कब्जा हटा लिया है तथा वर्तमान में उसका कब्जा भी नहीं है। अतः सिविल कारावास की सजा से उसे मुक्त किया जायें। राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि यह कहना गलत है कि अपीलांट को सुना नहीं गया था। दिनंक 16.09.2015 की प्रोसिडिंग में अपीलांट की उपस्थिति दर्ज है। उनके द्वारा समय भी चाहा गया था। आक्षेपित कार्यवाही की उन्हें जानकारी थी। अपील खारिज की जाये।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। लालाराम बनाम तहसीलदार मालपुरा निगरानी 5758 निर्णय दिनांक 11.11.2022 द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर रमेश बनाम सरकार निगरानी 1418 निर्णय दिनांक 30.03.2022 द्वारा एकल पीठ राजस्व मण्डल अजमेर, मोहन बनाम सरकार निगरानी 6068 निर्णय दिनांक 16.11.2022 द्वारा एकल पीठ राजस्व मण्डल अजमेर, रामप्रसाद बनाम सरकार निगरानी 4442 निर्णय दिनांक 02. 09.2022 द्वारा एकल पीठ राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये। इन सभी न्यायिक दृष्टांत मे सार रूप से यह कहा गया है कि निर्णय के एक माह के अंदर अपीलांट अतिक्रमी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि वह विवादित आराजी से अपना कब्जा हटा चुका है। भविष्य मे कभी अतिक्रमण उक्त विवादित आराजी पर नहीं करेगा। साथ ही तहसीलदार मौके पर पहुंचकर शपथ पत्र मे अंकित तथ्यों का सत्यापन करेगें। यदि शपथ पत्र के अनुरूप मौके पर स्थिति पायी जाये तो सिविल कारावास की सजा माफ की जायें। मगर शास्ति व बेदखली बाबत तहसीलदार का आदेश यथावत रहेगा। यदि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की चूक की जाती है तो तहसीलदार द्वारा पारित सम्पूर्ण आदेश प्रभावी रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 19:17:56 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान प्रकरण में भी अपील के दौरान अपीलांट अतिक्रमी द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा यह अण्डटेकिंग दी है कि उसने कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा। अतः राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्णयों की रोशनी मे उक्त प्रकरण का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है– निर्णय के एक माह के अंदर अपीलांट अतिक्रमी

तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि वह विवादित आराजी से अपना कब्जा हटा चुका है। भविष्य मे कभी अतिक्रमण उक्त विवादित आराजी पर नहीं करेगा। साथ ही तहसीलदार मौके पर पहुंचकर शपथ पत्र मे अंकित तथ्यों का सत्यापन करेगें। यदि शपथ पत्र के अनुरूप मौके पर स्थिति पायी जाये तो सिविल कारावास की सजा माफ की जायें। मगर शास्ति व बेदखली बाबत तहसीलदार का आदेश यथावत रहेगा। यदि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की चूक की जाती है तो तहसीलदार द्वारा पारित सम्पूर्ण आदेश प्रभावी रहेगा। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन आदेश में दी गई गई सिविल कारावास की सजा को सशर्त उपर लिखित आधारों पर अपास्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

## क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2021 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक अन्तर्गत प्रकरण संख्या 35/2017 तथा तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2015 प्रकरण संख्या 564/2015 में सिविल कारावास की सजा की हद तक निर्णय को अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:56 IST
Reason: SelfAttested